Evaluation report of Social Impact Assessment and Social Impact Management Plan prepared by University Institute of Engineering & Technology, Punjab University, Chandigarh for acquisition of land for 4-lanning of Jhajjar- Farrukhnagar- Gurugram from Km 21.300 to 34.800 in Gurugram District' as per new L.A. Act 2018.

The road namely Jhajjar -Farrukhnagar -Gurugram road from Km 21.300 to 34.800 in Gurugram Districts was proposed to be 4-lanned under NCRPB loan scheme and for its 4-lanning additional land was required. Therefore, the process for acquisition of land as per New L.A. Act 2018 was initiated through Superintending Engineer, Gurugram Circle, PWD (B&R) Branch, Gurugram (Requiring Body) vide their office letter no. 49596 dated 14.03.2018 as per new L.A. Act 2018. The proposal for acquisition of land was submitted to District Collector, Gurugram as per rules of new L.A. Act 2018. Thereafter, preliminary enquiry and investigation of the proposal & inspection of land to be acquired was carried out by Committee as constituted by Worthy D.C., Gurugram and found correct as per provisions of New L.A. Act – 2018. Further Worthy D.C., Gurugram submitted the proposal to the Govt. of Haryana vide letter no. 2634/DRA dated 22.05.2018 conforming to rule 4 (3) Chapter-II of new L.A. Act 2018. Subsequently the Govt. has initiated the process for carrying out the SIA through HSIIDC which has been notified as Nodal Agency for carrying out the SIA & SIMP. The work for carrying out SIA & SIMP was allotted to University Institute of Engineering & Technology, Punjab University, Chandigarh by HSIIDC. Accordingly SIA team has prepared SIA & SIMP reports and submitted to HSIIDC which was to be reviewed by an expert group as per the rule 13, Chapter III of new L.A. Act 2018 and Expert Group is required to be constituted by the Govt. of Haryana. As per reference side note mentioned in rule 13, Chapter III of new L.A. 2018 refers section 7 of old L.A. Act 2013 for constituting an Expert Group and contents of same (Section 7) are reproduced as under:-

"7.(1) The appropriate Govt. shall ensure that the Social Impact Assessment report is to be evaluated by an independent multi-disciplinary Expert Group, as may be constituted by it.

(2) The Expert Group constituted under sub-section (1) shall include the following namely:-

a. *Two non-official social scientists.*
b. *Two representatives of Panchayat, Gram Sabha, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be;*
c. *Two expert on rehabilitation; and*
d. *A technical expert in the subject relating to the project.*

(3) The appropriate Govt. may nominate a person from amongst the members of the Expert Group as the Chairperson of the Group".

Accordingly, Expert Group consisting following members has been constituted by the Govt. of Haryana vide notification dated 08.01.2021.

S. No.	Description	Name of member
A	Two non-official social scientists	(i) Prof. Simriti Kahlon Chairperson Department of Geography Punjab University Chandigarh (ii) Dr. Kamla Department of Political Science, Punjab University Chandigarh.

S. No.	Description	Name of member
B	Two representative from amongst the member of Gram Panchayat of Municipal Body as the case may be, Bhur	(i) Sh. Kuldeep Yadav, Sarpanch Village Chandu. (ii) Sh. Ram Parkash, Sarpanch Village Budhera
C	Two people who have understanding of rehabilitation or have constituted substantially in framing rehabilitation of Policy of the State	(i) Sh. Umed Singh, Tehsildar (Retd.) (ii) Sh. Jaidev Malta , Tehsildar (Retd.)
D	A technical expert	Sh. Mohd. Zubair, DGM-I, HSRDC, Gurugram.

A meeting of the expert group was held on dated 015.04.2021 at 12:00 Noon in the conference room of MD, HSRDC, Bay no. 13-14, Sector-02, Panchkula. The Expert group evaluated the SIA & SIMP report prepared by the University Institute of Engineering & Technology, Punjab University, Chandigarh as per rule 13, Chapter III of new L.A. Act 2018 and it has been observed by the Expert Group that the land is essentially required for this project for the 4-laning of road. The project is surely a step towards improvement in facilities in the region and would contribute towards the overall development of the area, state and country at large in the long run. However the challenges and problems owing to disturbance and displacement that the PHAs would face cannot be ignored and need proper mitigation plans as suggested in SIA & SIMP report. The adequate compensation for acquisition of land as well as R&R will be provided to the land owners as per relevant act. The Expert Group was satisfied that the project will serve the public purpose and the potential benefits outweigh the social costs. So the expert group appraised SIA & SIMP report.

Ram Parkash, Sarpanch Village Budhera

Kuldeep Yadav, Sarpanch Village Chandu

Jaidev Malta , Tehsildar (Retd.)

Umed Singh, Tehsildar (Retd.)

Mohd. Zubair, DGM-I, HSRDC, Gurugram

Dr. Kamla Punjab University Chandigarh

Prof. Simrit Kahlon Chairperson, Punjab University Chandigarh

गुरूग्राम जिले में झज्जर–फर्रूखनगर–गुरूग्राम सडक की 4–लेनिंग के लिए कि0मी0 21.300 से 34.800 तक भूमि अधिग्रहण के लिए नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार युनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी, पंजाब युनिवर्सिटी, चंडीगढ द्वारा तैयार किए गए सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन और सामाजिक सामाघात प्रबन्ध योजना की मूल्यांकन रिपोर्ट।

गुरूग्राम में किमी 21.300 से 34.800 तक झज्जर–फर्रूखनगर–गुरूग्राम सडक को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड वृष योजना के तहत 4–लेन बनाने का प्रस्ताव था और इसके 4–लेन के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता थी। अतः नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अधीक्षक अभियंता, गुरूग्राम वृत, लोक निर्माण विभाग (भवन व निर्माण) शाखा गुरूग्राम (अपेक्षक निकाय) के कार्यालय पत्र कमांक 49596 दिनांक 14.03.2018 द्वारा भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव जिला कलक्टर, गुरूग्राम, को नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के नियमों के अनुसार प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच और अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का निरीक्षण माननीय कलक्टर गुरूग्राम द्वारा गठित समिति द्वारा किया गया और नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानो के अनुसार सही पाया गया। माननीय कलक्टर गुरूग्राम ने पत्र कमांक 2634/डीआरए दिनांक 22.05.2018 से हरियाणा सरकार को नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के नियम 4(3) अध्याय–द्वितीय के अनुरूप भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् सरकार ने सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन करने की प्रकिया हरियाणा राज्य ओद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम के माध्यम से शुरू की जिसको सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन और सामाजिक सामाघात प्रबन्ध योजना कार्य के लिए नोडल एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। हरियाणा राज्य ओद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम द्वारा सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन और सामाजिक सामाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य युनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी, पंजाब युनिवर्सिटी, चंडीगढ को आवंटित किया गया। तदनुसार सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन दल ने सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन और सामाजिक सामाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की और हरियाणा राज्य ओद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम को प्रस्तुत की जिसकी समीक्षा नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अध्याय 3 के नियम 13 अनुसार एक विशेषज्ञ समूह द्वारा की जानी थी व हरियाणा सरकार द्वारा विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाना आवश्यक है। नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अध्याय 3 के नियम 13 मे उल्लेखित संदर्भित नोट अनुसार एक विशेषज्ञ समूह का गठन करने के लिए पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 7 को संदर्भित किया गया है और इसकी सामग्री (धारा 7) निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत की गई है :–

"7. (1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन एक स्वतंत्र बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा, जो कि उसके द्वारा गठित किया जाए, कराया जाए।

(2) उप-धारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

(क) दो गैर-सरकारी सामाजिक वैज्ञानिक

(ख) यथास्थिति, पंचायत, ग्राम सभा, नगर पालिका या नगर निगम के दो प्रतिनिधि,

(ग) पुनर्व्यवस्थापन संबंधी दो विशेषज्ञ ; और

(घ) परियोजना से संबंधित विषय में एक तकनीकी विशेषज्ञ।

(3) समुचित सरकार विशेषज्ञ समूह के सदस्यों में से एक व्यक्ति को उस समूह का अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट कर सकेगी।

तदनुसार हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.01.2021 के द्वारा निम्नलिखित सदस्यों से विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया

क्र0 स0	विवरण	सदस्य का नाम
क	दो गैर-सरकारी सामाजिक वैज्ञानिक	1. प्रोफेसर स्मृति काहलों, अध्यक्ष भुगोल विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ 2. डॉ0 कमला, राजनीति विज्ञान विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़
ख	पंचायत, ग्राम सभा, नगर पालिका या नगर निगम, जैसा भी मामला हो, के दो प्रतिनिधि	1. श्री कुलदीप यादव, सरपंच ग्राम चंदू 2. श्री राम प्रकाश, सरपंच ग्राम बुढेडा
ग	दो लोग जिन्हें पुनर्वास की समझ है या जिन्हें राज्य के पुनर्वास नीति को तैयार करने में पर्याप्त रूप से गठित किया है	1. श्री सम्मेद सिंह, तहसीलदार (सेवानिवृत) 2. श्री जयदेव मल्हा, तहसीलदार (सेवानिवृत्त)
घ	एक तकनीकी विशेषज्ञ	श्री मोहम्मद जुबेर, उप महाप्रबंधक-1, हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास निगम लिमिटेड, गुरुग्राम।

विशेषज्ञ समूह की बैठक दिनांक 16.04.2021 को दोपहर 12:00 बजे प्रबंधक निदेशक, हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास निगम लिमिटेड, पंचकुला कार्यालय के सम्मेलन कक्ष मे आयोजित की गई। विशेषज्ञ समूह ने नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2018 के अध्याय 3 के नियम 13 के अनुसार, युनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी, पंजाब युनिवर्सिटी, चंडीगढ़ द्वारा तैयार किए गए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन और सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना का मूल्यांकन किया और विशेषज्ञ समूह द्वारा यह देखा गया कि इस परियोजना व चार लेन की सड़क के लिए भूमि अनिवार्य रूप से आवश्यक है। यह परियोजना निश्चित रूप से इस क्षेत्र में सुविधाओं के सुधारीकरण के लिए एक कदम है एवं यह इस क्षेत्र, राज्य और देश के दूरगामी विकास में योगदान देगी। हालांकि भू-स्वामियों को जिन चुनौतियों और विस्थापन का सामना करना पड़ेगा, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया

जा सकता और सामाजिक सामाघात निर्धारण अधय्यन और सामाजिक सामाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट में दिए गये सुझावों के अनुसार उचित न्यूनीकरण योजनाओं की आवश्यकता है। भूमि के अधिग्रहण के साथ–साथ (पुनर्वास व पुनर्विस्थापन) के लिए पर्याप्त मुआवजा भूमि मालिकों को प्रासेंगिक अधिनियम के अनुसार प्रदान किया जाएगा। इसलिए सामाजिक सामाघात निर्धारण अधय्यन और सामाजिक सामाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट का मुल्यांकन करने उपरांत विशेषज्ञ समूह संतुष्ट था कि यह परियोजना सार्वजनिक उदेश्य की पुर्ति करेगी और सभांवित लाभ सामाजिक लागतो से अधिक होंगे।

-sd-
राम प्रकाश, सरपंच
ग्राम बुढेढा

-sd-
कुलदीप यादव, सरपंच
ग्राम चंदू

-sd-
जयदेव माट्टा,
तहसीलदार (सेवानिवृत)

-sd-
उम्मेद सिंह, तहसीलदार
(सेवानिवृत)

-sd-
मोहम्मद जुबेर, उप
महाप्रबंधक– I, एच0
एस0 आर0 डी0 सी0,
गुरूग्राम

-sd-
डॉ0 कमला, पंजाब
विश्वविधालय चंडीगढ

-sd-
प्रोफेसर स्मृति काहलों,
अध्यक्ष पंजाब
विश्वविधालय चंडीगढ